कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, जवाहर भवन, 6वॉ तल उ0प्र0, लखनऊ

संख्या–एम0ई0–3/2020/1124 लखनऊःदिनांक 07 जुलाई, 2020

यू0पी0 नीट पी0जी0–2020 की द्वितीय चक्र की ऑन लाईन काउंसिलिग हेतु महत्वपूर्ण निर्देश

1. द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग में सीटों का आंवटन/उच्चीकरण (Upgradation) द्वितीय चक्र की मेरिट के आधार पर होगा।

2. Choice Locking और Login Password एक ही है अतः Choice Locking के लिए वही password use करें, जो Login करते समय किया गया था।

3. विकल्पों को भरने (Choice Filling) के उपरान्त उनको Lock करना अनिवार्य है। Choice Lock न करने की स्थिति में उनको सीट आवंटन की प्रक्रिया से सम्मिलित नहीं किया जाएगा, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी।

4. पहले से आवंटित (प्रवेशित) सीट का विकल्प भरना अनिवार्य नहीं है। यदि नये विकल्पों के आधार पर कोई सीट आवंटित नहीं होती है, तो पुरानी आवंटित सीट Retain रहेगी।

5. नये आवंटन की दशा में पुराने आवंटित कालेज की सीट का आवंटन स्वतः ही निरस्त हो जाएगा, उस पर किसी भी दशा में अभ्यर्थी का कोई अधिकार नहीं रहेगा।

6. यदि विकल्पों में पुराना आवंटित कालेज भरा गया और वह फिर से नये आवंटन की तरह से आवंटित हो गया, तो पुनः नोडल सेन्टर पर उपस्थित होकर सीट का Verification (सत्यापन) कराना अनिवार्य है, अन्यथा की दशा में प्रवेश निरस्त हो जायेगा।

7. द्वितीय चक्र की कांउसिलिंग में निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजों की अल्पसंख्यक श्रेणी की सीटें यदि रिक्त रह जाती है, तो ऐसी सीटें सामान्य श्रेणी के ओपन कैटेगरी से भरी जायेगी।

8. ऑल इण्डिया की समर्पित सीटों को स्टेट कोटा की सीटों में सम्मलित करते हुये द्वितीय चक्र की कांउसिलिंग में प्रदर्शित की जा रही है।

9. द्वितीय चक्र की कांउसिलिंग से आवंटन के पश्चात् अभ्यर्थी को सम्बन्धित नोडल सेंन्टर पर उपस्थित होकर अपनी प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी।

10. ऐसे अभ्यर्थी जिन्हे प्रथम चक्र की कांउसलिंग से आवंटित सीट पर प्रवेश ले लिया है, अपग्रेड नहीं करना चाहते है उन्हे द्वितीय चक्र की काउसिलिंग में विकल्प Choice भरने की आवश्यकता नही है।

11. SAC के अन्तर्गत दिखायी गयी सीटों की संख्या प्रवेशित छात्रों के सापेक्ष है, यदि किसी प्रवेशित छात्र की सीट अपग्रेड होती है तभी इस सीट से आवंटन किया जायेगा।

12. ऑल इण्डिया कोटे की प्रथम व द्वितीय चक्र की कांउसिलिंग से प्रवेशित अभ्यर्थी स्टेट कोटा की सीटों हेतु द्वितीय कांउसिलिंग में अर्ह नही होगें।

महानिदेशक